राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ.2/07/202/एस–1/84 दिनांक 23.04.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि गृह मंत्रालय ने पत्र सं.11034/01/2020–आईएस–IV दिनांक 24/03/2020, 04.04.2020 और 11.04.2020 के द्वारा विभिन्न परामर्श जारी किए हैं ताकि स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवर लोगों, मेडिकल स्टाफ और अग्रणी कर्मचारियों के लिए संरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था की शुरुआत करते हुए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

और जबकि, उक्त सूचना के बावजूद, स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवर लोगों, मेडिकल स्टाफ और अग्रणी कर्मचारियों के विरुद्ध दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं।

और जबकि, माननीय उच्चतम न्यायालय की याचिका (सिविल) सं. 10795/2020 दिनांक 08. 04.2020 में निम्नलिखित निदेश जारी किए गए हैं :

''भारत सरकार, संबंधित राज्यध्संघ शासित क्षेत्र और संबंधित पुलिस प्राधिकरणों को निदेश दिए जाते हैं कि अस्पतालों और उन जगहों पर जहां मरीजों का कोविड–19 का इलाज किया जा रहा है अथवा जहां मरीजों को घरों में क्वारंटीन किया जा रहा है, वहां डॉक्टरों और चिकित्सा स्टाफ को आवश्यक पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए. ऐसे डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा स्टाफ को भी आवश्यक पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जो इस बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए लोगों की स्क्रीनिंग हेतु उनके स्थानों पर जाते हैं''।

और जबकि, उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. एफ.2ध्07/2020/8.1/39, दिनांक 11.04.2020 जारी किया गया था, जिसमें सभी जिला पुलिस उपायुक्तों को निदेश दिए गए थे कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त उल्लिखित निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

और जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 51 में ऐसे व्यक्ति को कड़ा दंड देने की व्यवस्था है, जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा किसी राष्ट्रीय प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत कार्य करने में बाधा पहुंचाता है अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा

राज्य कार्यकारी समिति अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा अथवा उनकी ओर से दिए किसी निदेश के अनुपालन के लिए मना करता है।

अतः, अब आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली एक राज्य–स्तर के नोडल अधिकारी का नामन करेंगे, जिनका रैंक विशेष आयुक्त (पुलिस) से कम स्तर का नहीं होगा और जिला–स्तर के नोडल अधिकारी अपर पुलिस आयुक्त के स्तर से कम रैंक के नहीं होंगे, जो चिकित्सा से जुड़े लोगों की सुरक्षा संबंधी मुद्दे के हल के लिए चौबीसों घंटे–सातों दिन उपलब्ध रहेंगे. यदि हिंसा की कोई घटना होती है तो वे तत्काल और कड़ी कार्रवाई करेंगे. साथ ही, स्वास्थ्यकर्मियों तथा अग्रणी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करेंगे और उनके विरुद्ध होने वाली किसी हिमसा की घटना को रोकेंगे. इस संबंध में इंडियन मेडीकल एसोसिएशन के स्थानीय निकायों के परामर्श से किए जाने वाले उपायों को अंतिम रूप दिया जाएगा और सुरक्षा के लिए की जाने वाली कार्रवाई तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्वास उत्पन्न करने के संबंध में इंडियन मेडीकल एसोसिएशन के सदस्यों को अवगत कराया जाएगा. तदनुसार, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में 48 घंटे के भीतर एक एसओपी/सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिए दल का गठन किया जाएगा :

(i) दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा नामित विशेष पुलिस आयुक्त।

(ii) उपायुक्त (मुख्यालय), मंडल आयुक्त कार्यालय, दिल्ली।

(iii) प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा नामित अपर महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं।

(iv). इंडियन मेडीकल एसोसिएशन (दिल्ली चौप्टर) द्वारा नामित दो सदस्य।

2. साथ ही, यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, जहां मेडिकल प्रोफेशनल्स के परिवारजनों और सम्बंधियों की कोविड–19 संक्रमण से मृत्यु होने का संदेह हो, तो उन्हें उस मृतक के अंतिम संस्कार से दूर रखने अथवा क्रिया कर्म में बचाव का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिएय और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो उन मेडिकल प्रोफेशनल्स अथवा अग्रणी स्वास्थ्यकर्मियों की अंतिम क्रिया में बाधा डालने का प्रयास करते हों, जिनकी अपनी सेवाएं देते समय अथवा अन्यथा दुर्भाग्यवश कोविड–19 के संक्रमण के कारण मृत्यु हो जाती हो।

3. समस्त जिलाधिकारी और जिला पुलिस उपायुक्त को निदेश दिए जाते हैं कि वे निवारक उपायों के विवरणों और नोडल अधिकारियों के नामन का चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही इंडियन मेडीकल एसोसिएशन के स्थानीय चौप्टर्स में व्यापक प्रचार करें. निदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को निदेश दिए जाते हैं कि के गए निवारक उपायों और नोडल अधिकारियों के नामन का व्यापक तौर पर आम जनता में प्रचार करें।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ :

1. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. समसस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. समस्त जिला उपायुक्त।
5. निदेशक (सूचना एवं प्रचार निदेशालय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।